



National Allied and Healthcare Professional Association

(A Leading Association for all Health Care Professionals)

Registered under the Societies Act XXI of 1860

Administrative Office : 2nd Floor Sunil Complex W.K. Road Meerut

E-mail : ipmabharat@gmail.com Website : https://nahpa.in

Mob.: 0121-4349311, 9105431980, 8057728847, 7078033743



150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

President

Col B.P. Tomar (Retd.)

Vice President

Adv Abhishek Giri

Secretary

Adv. Priya Rastogi

Treasurer

Mr. Anshu Rastogi

Joint Secretary

Mr. Abhishek Tripathi

Organization Secretary

Mr. Amrit Kumar

Secretary

Mr. Furkan Saifi

Secretary

Mr. Rahib Alam

Legal Committee

Adv Sandeep Malik

(Supreme Court of India)

Adv Ashwani Garg

(Supreme Court of India)

Adv Sonali Gaur

(Supreme Court of India)

Adv Kapil Chandana

(Supreme Court of India)

Adv Amit Gaur

(Supreme Court of India)

Adv Robin Saxena

(Supreme Court of India)

Adv Naveen baliyan

(Allahabad High court)

Adv Jitendra Giri

(Allahabad and Lucknow High court)

Adv Pratima Vishkarma

(Allahabad High court)

Adv Santosh Kumar Dubey

(Allahabad High court)

Adv Kanhiya Mishra

(Allahabad High court)

Adv KP Puluskar

(Allahabad High court)

Adv Aditya Singh

(Allahabad High court)

Adv Ayansh Keshari

(Allahabad High court)

Adv Ayush Shrivastva

(Allahabad High court)

Adv Gaurav Mishra

(Allahabad High court)

Adv K.K. Gupta

(Allahabad High court)

Adv Sunil Mishra

(Allahabad High court)

Adv Vipul Tiwari

(Allahabad High court)

State Committee A.P

Dr. Bandi Bala Srinivas

Andhra Pradesh State President (NAHPA)

Dr. Rahul Jaiswal

Andhra Pradesh State Vice President (NAHPA)

Ref. No. : NAHPA/Benji/1/2026/457

Date : 27/06/2026

कार्यालय आदेश

सदस्यता के लाभ

राष्ट्रीय एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचित किया जाता है कि एसोसिएशन की विधिवत सदस्यता धारण करने वाले सदस्य, संगठन के संविधान, सदस्यता श्रेणी, लागू नियमों, उपलब्ध संसाधनों तथा समय-समय पर जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अधीन निम्नलिखित लाभों, सुविधाओं एवं संगठनात्मक सहयोग के लिए पात्र माने जाएंगे।

यह अधिसूचना संगठनात्मक एकरूपता, सदस्यहित संरक्षण, व्यावसायिक सशक्तिकरण तथा संस्थागत समन्वय को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जारी की जाती है। सदस्यता के अंतर्गत प्रदत्त लाभ किसी व्यक्तिगत अधिकार के रूप में स्वतः देय नहीं होंगे, अपितु वे एसोसिएशन की नियमानुसार प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन उपलब्ध कराए जाएंगे।

सदस्यता के प्रमुख लाभ निम्नवत अधिसूचित किए जाते हैं:-

1. प्रत्येक वैध सदस्य को एसोसिएशन से संबद्ध एक औपचारिक संस्थागत पहचान प्राप्त होगी, जिससे उसके व्यावसायिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक प्रतिनिधित्व को अधिकृत आधार प्राप्त होगा।
2. सदस्य को सदस्यता प्रमाण-पत्र, परिचय-पत्र अथवा संगठन द्वारा अनुमोदित पहचान संबंधी सुविधा, प्रचलित नियमों एवं सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी।
3. सदस्य के व्यावसायिक हितों, सेवा-संबंधी समस्याओं, न्यायोचित मांगों तथा प्रशासनिक स्तर पर उठाए जाने वाले सामूहिक विषयों के प्रतिवेदन एवं प्रतिनिधित्व हेतु एसोसिएशन एक संगठित मंच प्रदान करेगी।
4. सदस्य को एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, जन-जागरूकता अभियानों तथा क्षमता-विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदारी का अवसर प्राप्त होगा।
5. सदस्य को संगठनात्मक नीतियों, प्रशासनिक सूचनाओं, विभागीय अद्यतनों, व्यावसायिक हित से संबंधित आवश्यक जानकारी तथा महत्वपूर्ण परिपत्रों से समय-समय पर अवगत कराया जा सकेगा।
6. सदस्य को राज्य, जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों, विशेषज्ञों तथा सहकर्मी प्रोफेशनल्स के साथ समन्वय स्थापित करने, अनुभव साझा करने तथा व्यावसायिक एकता को सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त होगा।
7. एसोसिएशन के नियमों के अधीन सदस्य, संगठन की कल्याणकारी योजनाओं, परामर्शात्मक सहयोग, मार्गदर्शन, आपातकालीन सहायता संबंधी अनुशंसाओं तथा सामूहिक सहयोग तंत्र से लाभान्वित होने हेतु पात्र हो सकता है।

Abhishek Giri

Abhishek
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

National Vice President

नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professional Association
Former Name : Indian Paramedical Association

Abhishek Giri
Ait
Anshu Rastogi

8. सदस्य की योग्यता, सक्रियता, अनुशासन एवं संगठनात्मक निष्ठा के आधार पर उसे विभिन्न समितियों, प्रतिनिधिमंडलों, अभियानों अथवा संगठनात्मक दायित्वों में सहभागिता का अवसर प्रदान किया जा सकेगा।
9. सदस्यता के माध्यम से सदस्य को नेतृत्व विकास, संगठनात्मक अनुशासन, जनहितकारी सेवाओं में सक्रिय भूमिका तथा व्यावसायिक सम्मान अर्जित करने का अवसर प्राप्त होगा।
10. संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप उत्कृष्ट योगदान देने वाले सदस्यों को प्रशस्ति, सम्मान, अनुशंसा अथवा विशेष उल्लेख हेतु सक्षम स्तर पर विचारार्थ लिया जा सकेगा।
11. सदस्य को संगठन के संविधान, आचार संहिता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अपने सुझाव प्रस्तुत करने, रचनात्मक सहभागिता करने तथा संगठनात्मक सुधार हेतु विचार रखने का अवसर प्राप्त होगा।
12. सदस्य को एसोसिएशन की सदस्यता सूची, संरचनात्मक व्यवस्था एवं संगठनात्मक स्तरों के संबंध में नियमानुसार जानकारी प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
13. सदस्य को स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा शर्तों, व्यावसायिक सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सामूहिक मुद्दों पर एसोसिएशन के माध्यम से समन्वित आवाज प्राप्त होगी।
14. सदस्य को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय इकाइयों द्वारा आयोजित सदस्य उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।
15. सदस्य को संगठन के अधिकृत कार्यक्रमों, अभियानों, समारोहों एवं प्रतिनिधि सभाओं में नियमानुसार आमंत्रित किया जा सकेगा।
16. सदस्य को संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक परामर्श, प्रशासनिक मार्गदर्शन एवं प्रक्रियात्मक सहयोग उपलब्ध कराया जा सकेगा।
17. सदस्य को एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर जारी अपीलों, संकल्पों, सुझाव-पत्रों एवं प्रतिनिधित्व ज्ञापनों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा।
18. सदस्य को सामाजिक उत्तरदायित्व, जनसेवा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जा सकेगा।
19. सदस्य को नियमानुसार संगठनात्मक चुनाव, बैठक अथवा अधिवेशन संबंधी सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी।
20. सदस्य को उसकी पात्रता के अनुसार विभिन्न विषयगत प्रकोष्ठों, मंचों अथवा विशेषज्ञ समूहों से संबद्ध किया जा सकेगा।
21. सदस्य को संगठन द्वारा अनुमोदित प्रकाशनों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं सूचना सामग्री तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सकेगी।
22. सदस्य को व्यावसायिक क्षमता वृद्धि, व्यक्तित्व विकास एवं सार्वजनिक नेतृत्व कौशल के संवर्धन हेतु प्रशिक्षणपरक अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
23. सदस्य के योग्य एवं उचित प्रकरणों को संगठन द्वारा संबंधित स्तरों पर अनुशंसा अथवा समर्थन हेतु विचारार्थ लिया जा सकेगा।
24. सदस्य को संगठन की अधिकृत बैठकों में विचार व्यक्त करने, सुझाव रखने एवं कार्यवाही में सहभागिता करने का अवसर नियमानुसार उपलब्ध होगा।
25. सदस्य को संगठनात्मक संवाद, पारस्परिक सहयोग एवं सहकर्मी नेटवर्किंग के माध्यम से व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त होगा।

Sanjay

Anil

A. Jain

26. सदस्य को सेवा क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों, नीति परिवर्तनों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संबंध में समुचित जानकारी एवं परामर्श उपलब्ध कराया जा सकेगा।
27. सदस्य को संगठन की ओर से संचालित डिजिटल अथवा भौतिक सूचना माध्यमों में पंजीकृत सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।
28. सदस्य को आवश्यकतानुसार प्रपत्र, आवेदन, अनुशंसा अथवा प्रतिनिधित्व पत्र तैयार करने संबंधी प्रारूपिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
29. सदस्य को संगठन द्वारा संचालित या समर्थित व्यावसायिक जागरूकता अभियानों में अपनी भागीदारी दर्ज कराने का अवसर प्राप्त होगा।
30. सदस्य को संगठनात्मक अनुशासन, आचार संहिता एवं कार्यसंस्कृति के मानकों से परिचित कराने हेतु आवश्यक अभिमुखीकरण प्रदान किया जा सकेगा।
31. सदस्य को जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय बैठकों, संवाद सत्रों एवं विचार-विमर्श मंचों में जोड़ा जा सकेगा।
32. सदस्य को एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की एकता, अधिकार संरक्षण एवं सामूहिक हित संवर्धन के प्रयासों में सहभागी होने का अवसर प्राप्त होगा।
33. सदस्य को संगठन के वैध एवं अधिकृत कार्यक्रमों में पहचान, सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व संबंधी प्राथमिकता प्रदान की जा सकेगी।
34. सदस्य को संगठन की उपलब्धियों, महत्त्वपूर्ण निर्णयों, आगामी कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक पहलुओं से समय-समय पर अवगत कराया जा सकेगा।
35. सदस्य को उपयुक्त परिस्थितियों में संगठन की ओर से प्रशस्ति-पत्र, अभिनंदन-पत्र अथवा सम्मानात्मक उल्लेख हेतु विचारार्थ लिया जा सकेगा।
36. सदस्य को समाजोपयोगी स्वास्थ्य सेवा, जनहितकारी पहल एवं पेशेवर उत्तरदायित्व से जुड़े अभियानों में सहभागी बनाकर उसकी भूमिका को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
37. सदस्य को सामूहिक विषयों पर ज्ञापन, प्रतिवेदन, बैठक प्रस्ताव अथवा रचनात्मक सुझाव तैयार करने में संगठनात्मक सहयोग प्राप्त हो सकता है।
38. सदस्य को विभिन्न प्रशासनिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक मंचों पर एसोसिएशन के साथ समन्वित रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।
39. सदस्य को संगठनात्मक निष्ठा एवं सक्रियता के आधार पर भविष्य में दायित्व विस्तार, समिति सदस्यता अथवा पदनाम संबंधी अवसरों के लिए विचारार्थ लिया जा सकेगा।
40. सदस्य को आवश्यकतानुसार संगठन की कार्यप्रणाली, सदस्यता प्रक्रिया, इकाई गठन एवं आंतरिक समन्वय तंत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
41. सदस्य को नए सदस्यों के नामांकन, मार्गदर्शन एवं सदस्यता विस्तार अभियानों में सहभागी बनाकर संगठन सुदृढीकरण में भूमिका प्रदान की जा सकेगी।
42. सदस्य को संगठन की ओर से आयोजित विशेष दिवस, स्मृति कार्यक्रम, व्यावसायिक उत्सव तथा सामाजिक सरोकार आधारित आयोजनों में सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा।
43. सदस्य को नियमों के अधीन संगठन की परामर्श प्रक्रिया, शिकायत-प्रेषण व्यवस्था अथवा सदस्य-समन्वय तंत्र का उपयोग करने का अवसर उपलब्ध होगा।
44. सदस्य को विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञों, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अनुभवी सदस्यों के साथ विमर्श का अवसर प्रदान किया जा सकेगा।

Shudhanj

Amjars

Arhiser

45. सदस्य को संगठन की नीतिगत पहलों के समर्थन, सुझाव एवं क्रियान्वयन सहयोग हेतु सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा।
46. सदस्य को संगठन के व्यापक हित में गठित विशेष अभियान, अध्ययन समूह, समन्वय समिति अथवा कार्यदल में सम्मिलित किया जा सकेगा।
47. सदस्य को संगठनात्मक गरिमा एवं व्यावसायिक मर्यादा के अनुरूप सार्वजनिक स्तर पर अपने प्रतिनिधित्व को अधिक सशक्त बनाने का अवसर प्राप्त होगा।
48. सदस्य को सामूहिक एकजुटता, संस्थागत संरक्षण एवं रचनात्मक सहयोग की भावना से कार्य करने हेतु संगठित वातावरण उपलब्ध होगा।
49. सदस्य को संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप समाज, प्रशासन एवं व्यावसायिक समुदाय के मध्य सकारात्मक छवि निर्माण में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा।

उपर्युक्त सभी लाभ एसोसिएशन के संविधान, सदस्यता की श्रेणी, उपलब्ध संसाधनों, सत्यापन, प्रशासनिक आवश्यकता तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन समय-समय पर परिवर्तित, सीमित, स्थगित अथवा विस्तारित किए जा सकेंगे।

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि प्रत्येक सदस्य पर एसोसिएशन की मर्यादा, अनुशासन, आचार संहिता एवं उद्देश्यपरक कार्यप्रणाली का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी लाभ, सुविधा अथवा संगठनात्मक सहयोग का उपभोग संबंधित नियमों, पात्रता तथा प्रशासनिक अनुमोदन के अधीन ही किया जाएगा।

भवदीय,




अभिषेक त्रिपाठी
राष्ट्रीय सचिव,
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल
एसोसिएशन

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
National Vice President
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन
National Allied and Healthcare Professional Association
Former Name : Indian Paramedical Association

संदर्भ संख्या:- ILM-08/2026/सदस्यता/457 दिनांक:- 27/06/2026

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. कार्यालय प्रति
2. सदस्य फाइल/अभिलेख प्रति



अभिषेक त्रिपाठी
राष्ट्रीय सचिव,
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल
एसोसिएशन

नोट: समस्त सदस्यों को
प्रदायीकारी को समस्त सदस्यों
उपलब्ध करार कर
आपका एप्लाइड हेल्थकेयर
आपका एप्लाइड हेल्थकेयर